उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून
दूरभाष नं0– 0135–2675780, फैक्स नं0– 0135–2675779
ईमेल : secy-uic@gov.in वैब: http://uic.uk.gov.in

पत्रांक 6887 /स्था0/उ0सू0अ0/2024–25 दिनांक 13.11.24

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त प्रमुख कार्यालय, उत्तराखण्ड

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अन्तर्गत विभागीय मैनुअलों को प्रति वर्ष अद्यतन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्र संख्या 582/XXXI(15)G/22-49(सा0)/2020 दिनांक 17.05.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिससे द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अन्तर्गत लोक प्राधिकारियों के द्वारा तैयार किये जाने वाले विभागीय मैनुअलों को प्रति वर्ष माह अप्रैल से जून तक अद्यावधिक करते हुए विलम्बतया 15 जुलाई तक आयोग को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उल्लेखनीय है कि मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट पिटीशन (सिविल) संख्या 990/2021 किशन चन्द्र जैन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य के आदेश दिनांक 17.08.2023 में मा0 उच्चतम न्यायालय ने निम्न आदेश दिए हैं –

> 25. Having examined the Right to Information established by the statute under Section 3 in the context of the obligations of public authorities under Section 4, we are of the opinion that the purpose and object of the statute will be accomplished only if the principle of accountability governs the relationship between 'right holders' and 'duty bearers'. The Central and State Information Commissions have a prominent place, having a statutory recognition under Chapters III and IV of the Act and their powers and functions all enumerated in detail in Section 18 of the Act. *We have also noted the special power of 'Monitoring and Reporting' conferred on the Central and State Information Commissioners which must be exercised keeping in mind the purpose and object of the Act, i.e., 'to promote transparency and accountability in working of every public authority'*
>
> 26. For the reasons stated above, we direct that the Central Information Commission and the State Information Commissions shall continuously monitor the implementation of the mandate of Section 4 of the Act as also prescribed by the Department of Personnel and Training in its Guidelines and Memorandums issued from time to time. The directions will also include instructions under O.M. dated 07.11.2019 issued by the Department. For this purpose, the Commissioners will also be entitled to issue

recommendations under sub-Section (5) of Section 25 to public authorities for taking necessary steps for complying with the provisions of the Act

27. The Writ Petition (C) No. 990 of 2021 is disposed of with the direction to the Central Information Commission and the State Information Commissions to ensure proper implementation of the mandate of Section 4 of the Act, by following the directions as indicated above.

उपरोक्त रिट पिटीशन (सिविल) संख्या 990/2021 किशन चन्द्र जैन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य के आदेश दिनांक 17.08.2023 में मा0 उच्चतम न्यायालय ने समस्त लोक प्राधिकारियों से धारा 4 का उचित अनुपालन कराये जाने हेतु आयोग को निर्देशित किया गया है।

उक्त रिट पिटीशन में मा0 उच्चतम न्यायालय ने समस्त लोक प्राधिकारियों से प्रमुखतः से कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अन्तर्गत अभिलेखों का रखरखाव और उनके स्वःप्रकटन किये जाने हेतु जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन कराये जाने के आदेश दिए गए हैं। मा0 उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस हेतु प्रमुखतः से कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1/6/2011– आई0आर0 दिनांक 07.11.2019 का अनुपालन कराये जाने के आदेश दिए गए हैं।

मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 17.08.2023 का अनुपालन ससमय किया जा सके इस हेतु मा0 आयोग के द्वारा आपसे यह अनुरोध किये जाने के निर्देश हुए हैं कि प्रत्येक विभाग में उत्तराखण्ड शासन /विभागाध्यक्ष/मण्डल/ जनपद/तहसील / विकास खण्ड स्तर पर नामित लोक प्राधिकारियों को कृपया निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1/6/2011– आई0आर0 दिनांक 07.11.2019 के अनुरूप सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अन्तर्गत अभिलेखों का रखरखाव और उनके स्वःप्रकटन किये जाने और धारा 4(1)(ख) के अन्तर्गत विभागीय मैनुअलों को तैयार करना सुनिश्चित करें। इस कार्य हेतु कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार विभाग के उच्च अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाए और नोडल अधिकारी के द्वारा प्रतिवर्ष सुनिश्चित किया जाए कि विभाग में नामित समस्त लोक प्राधिकारियों के द्वारा माह अप्रैल से जून तक मैनुअल को अद्यावधिक कर लिया गया है और इसकी सूचना प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई तक आयोग को दी जाए। अद्यतन मैनुअल को आर0टी0आई0 ऑनलाइन पोर्टल पर भी ससमय अपलोड कराया जाए।

मा0 आयोग के द्वारा आपसे यह भी अनुरोध करने के निर्देश हुए हैं कि जिन लोक प्राधिकारियों के द्वारा अपने–अपने मैनुअल 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुरूप अद्यावधिक कर लिए हैं, की सूचना आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें और जिन लोक प्राधिकारियों के द्वारा मैनुअल को अद्यावधिक नहीं किया गया है वे दिनांक 30 नवम्बर, 2024 तक अद्यावधिक करते हुए, उसकी सूचना आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोपरि।

भवदीय

(अरविन्द कुमार पाण्डेय)
सचिव

पत्रांक /स्था0/उ0सू0अ0/2024–25 दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यकता कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस संदर्भ में शासन स्तर से दिशा–निर्देश जारी करने का कष्ट करें।
2. निजी सचिव मा0 मुख्य सूचना आयुक्त को मा0 मुख्य सूचना आयुक्त महोदय के अवलोकनार्थ।

(अरविन्द कुमार पाण्डेय)
सचिव